

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
EXECUTION APPLICATION No. 02/2022

IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT:

Swami Narhariyanand Sarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS:

State of MP. & Ors.

INDEX

Sl.	Particulars	<u>Annexure</u>	<u>Page No.</u>
01	COMPLAINCE CUM ACTION TAKEN REPORT OF ORDER DATED 13/07/2022		1-4
02	Affidavits		5-6
03	Copy of the sample notices issued to the Encroachers/Householders	ANNEXURE C-1 (colly)	7-10
04	Responses given by the Encroachers/Householders	ANNEXURE C-2 (colly)	11-22
05	List of the cases pending before the Divisional Commissioner, Jabalpur	ANNEXURE C-3	23-24
06	Copy of the compliance report dated 07/09/2022	ANNEXURE C-4	25-26

SUBMITTED BY;

RESPONDENTS

THROUGH;

(SACHIN K. VERMA)

Place: BHOPAL

Date: 07/09/2022

COUNSEL FOR RESPONDENTS NO. 2 & 3

①

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
EXECUTION APPLICATION No. 02/2022
IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT:

Swami Narhariyanand Sarovar

//VERSUS//

RESPONDENTS:

State of MP. & Ors.

COMPLAINCE CUM ACTION TAKEN REPORT OF ORDER DATED
13/07/2022

The Respondent State of MP and the Municipal Council Saikheda most respectfully submit as follows:-

1. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 13/07/2022 passed following directions in this matter, the operative of the order is quoted below:-

"Learned counsel for the State, Sh. Sachin K Verma, has submitted that the proceedings of the Revenue Officers were challenged before Hon'ble the High Court of Madhya Pradesh whereby direction was issued to provide the opportunity of hearing to the aggrieved and proceed according to law. Despite of the direction of Hon'ble the High Court of Madhya Pradesh, the executive authorities District Collector, Panna or the Niab Tehsildar failed to exercise their duties to comply the order of Hon'ble High Court and to execute the order in accordance with law. Learned Counsel for the State sought a short time, so that the matter may be finalized by the Collector/District Authorities after giving an opportunity of hearing to the parties concerned."



2. In compliance to the directions passed by the Hon'ble Tribunal, the District Collector District Narsingpur passed instructions to the Chief Municipal Officer, Municipal Council Saikheda for the protection and conservation of Narhariyanand Talab. The Chief Municipal Officer as an interim measures has initiated following proceedings:-

- i. Swaminarhariyanand Talab Village Saikheda Revenue Inspection Division Tehsil Saikheda District Narsingpur is situated on Government land bearing Khasra no. 456, 457, 458/1, total area 6.770 Hectares. The classification of the land is Talab.
- ii. The Urban Local Body is setting up a Sewage Treatment Plant (in short 'STP') having the capacity of 2.6 MLD which has been constructed through MPUDCL at present 80% work has been completed and it is likely that the Project Implementation Unit will complete the construction work at the earliest in near future, further the sewage line laying work is also almost completed and in terms of percentage 92% work has been completed.
- iii. The Project Manager of the Project Implementation Unit has assured that after the withdrawal of rainy season the STP Construction work will be completed and after the completion of STP construction work the untreated sewage will be trapped and further will be scientifically treated by the STP. The Municipal Council Saikheda has adopted door to door solid waste collection from the residential units so as to ensure the scientific disposal of the solid waste and from time to time it is publicly advertised and broadcasted that in case of disposal of solid waste in the water bodies penal action in the shape of penalty will be imposed upon the violators.
- iv. At the Government Revenue Land settled and recorded as Talab Land in the revenue records there are 73 encroachments, the encroachments are mostly residential units thereby the Municipal Council Saikheda has issued



demand notice for the recovery of environmental compensation and also sought the chain of documents pertaining to the title and ownership of the Householders. The proceedings are under active consideration in accordance with law. After the issuance of notices, the 32 householders are now releasing the household sewage at other location so as to ensure that the sewage shall not flow into the Talab and have further connected the sewage pipelines with the main newly laid sewage line which is not having any run off into the Talab. Further the storm water drains which are having their flow into the Talab have been diverted to the different location so that its rainy water may not flow into the Talab. The copy of the sample notices issued to the Encroachers/Householders are collectively marked and filed herewith as **ANNEXURE C-1(colly)** & the copy of the Responses given by the Encroachers/Householders are collectively marked and filed herewith as **ANNEXURE C- 2 (colly)**

- v. The Nayab Tehsildar, Tehsil Saikheda District Narsingpur, after being reported by the Municipal Council pertaining to 73 encroachments upon the land settled and recorded as Government Land Talab in revenue records has registered cases within the preview of Section 248 of the MP Land Revenue Code 1959 and after being served some of the householders have approached the court of Divisional Commissioner Jabalpur, and some of the householders have already approached Hon'ble High court Principal Seat At Jabalpur the directions passed by Hon'ble High Court are already brought to the kind notice of Hon'ble Tribunal therefore, in compliance to the directions passed by Hon'ble High Court the reasonable opportunity of hearing is provided to the encroachers and after completion of hearing orders will be passed on its merits. The list of the cases pending before the Divisional Commissioner, Jabalpur is marked and filed herewith as **ANNEXURE C-3** & The copy of the compliance report dated 07/09/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE C-4**

4

3. The submissions and compliance may kindly be taken on record.
4. An Affidavits in support are filed herewith.

SUBMITTED BY;

RESPONDENTS
THROUGH;



Place: BHOPAL

(SACHIN K. VERMA)

Date: 07/09/2022

COUNSEL FOR RESPONDENTS NO. 2 & 3

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
EXECUTION APPLICATION No. 02/2022

IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT:

Swami Narhariyanand Sarovar
//VERSUS//

RESPONDENTS:

State of MP. & Ors.

AFFIDAVIT

I, Rajendra Kumar Sharma, Aged about 56 years, S/o Shri Nitya Gopal Sharma, posted as Chief Municipal Officer, O/o Nagar Parishad Sainkheda, Narsinghpur (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-

1. That, I am Respondent No. 3 in the present matter and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

That the accompanying compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

That the contents of para 1 to end of accompanying compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.



श्री Rajendra Kumar Sharma आत्मज S/o Shri Nitya Gopal Sharma
निवासी Nagar Parishad Sainkheda Narsinghpur (M.P.)
आज दिनांक 7/9/22 को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की।

DEPONENT

श्री Sanjay Kumar Vishwakarma ने शपथ ग्रहण को पहचाना।

VERIFICATION

Sanjay Kumar Vishwakarma
तेजवानी Adv

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.

प्रमाणित किया जाता है कि शपथ ग्रहीता को मेरे समक्ष शपथ-पत्र सुनाया, समझाया गया। उसने सही समझकर हस्ताक्षर/अंगूठा मेरे समक्ष अंकित किया।
Verified and signed on this 7th day of SEPTEMBER 2022 at Bhopal (M.P)

संजय कुमार विश्वकर्मा
शपथ आयुक्त, भोपाल

DEPONENT

IDENTIFIED BY ME

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
EXECUTION APPLICATION No. 02/2022

IN

O.A. NO. 23/2021

IN THE MATTER OF:

APPLICANT:

Swami Narhariyanand Sarovar
//VERSUS//

RESPONDENTS:

State of MP. & Ors.

AFFIDAVIT

I, Akash Dahare, S/o Shri G.L. Dahare Aged about 32 years, posted as Nayab Tehsildar Tehsil Saikheda, O/o Tehsildar Office Saikheda, Tehsil Saikheda (M.P.), do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-



That, I am the Nayab Tehsildar, Tehsil Saikheda and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

- 2 That the accompanying compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.
3. That the contents of para 1 to end of accompanying compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

श्री Akash Dahare आत्मिज S/o Shri G.L. Dahare
निवासी Tehsildar office Saikheda, Tehsil
Saikheda (M.P)
आज दिनांक 19/09/22 को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की।
श्री डा. विजय निजवानी ने शपथ ग्रहीता को पहचाना।

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

[Signature] संजय कुमार विश्वकर्मा
शपथ आयुक्त, भोपाल
I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.
प्रमाणित किया जाता है कि शपथ ग्रहीता को मेरे समक्ष शपथ-पत्र सुनाया, समझाया गया, पढ़ाया गया, उसे समझाकर हस्ताक्षर/अंगूठा मेरे समक्ष अंकित किया।

Verified and signed on this 19th day of SEPTEMBER 2022 at Bhopal (M.P)

[Signature]
संजय कुमार विश्वकर्मा
शपथ आयुक्त, भोपाल

[Signature]
DEPONENT

[Signature]
IDENTIFIED BY ME

ANNEXURE C-1

(4)

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर

(E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)

पृ.क. 7/6/2022 / न.प.साई / 2022

साईखेडा, दिनांक 29/7/2022

--:नोटिस:--

प्रति,

श्री. गोपी लाल
साईखेडा

विषय:- तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में।

विषयांतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार साईखेडा के द्वारा शासकीय तालाब पानी मद के ख. नं. 456, 457, 458/1 कुल रकवा 6.777 का विधिवत सीमांकन में आपके द्वारा उक्त जलमद भूमि में अतिक्रमण होना पाया गया है आपको सूचित किया जा रहा है कि आप उक्त काबिजा अतिक्रमण भूमि का स्वामित्व संबंधित दरतावेज नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पृ.क. 7/6/2022 / न.प.साई / 2022
प्रतिलिपी:-

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
मुख्य नगर परिषद साईखेडा
नगर साईखेडा
साईखेडा दिनांक 29/7/2022


1. प्रशासक महोदय नगर परिषद साईखेडा की ओर सादर सूचनार्थ।

साईखेडा
3-8-22

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर

(E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)



दिनांक 17/6/2022 न.प.साई / 2022

साईखेडा, दिनांक 20/7/2022

--:नोटिस:--

प्रति,

सती काशीप
साईखेडा

विषय:- तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में।

विषयांतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार साईखेडा के द्वारा शासकीय तालाब पानी मद के ख. नं. 456, 457, 458/1 कुल रकवा 6.777 का विधिवत सीमांकन में आपके द्वारा उक्त जलमद भूमि में अतिक्रमण होना पाया गया है आपको सूचित किया जा रहा है कि आप उक्त काबिज अतिक्रमण भूमि का स्वामित्व संबंधित दस्तावेज नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पृ.क. 761 / न.प.साई / 2022
प्रतिलिपी:-

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा
साईखेडा दिनांक 20/7/2022

1. प्रशासक महोदय नगर परिषद साईखेडा की ओर सादर सूचनार्थ।

B. P. A.

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

९

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर

(E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)

पृ.कं. 762/न.प.साई/2022

साईखेडा, दिनांक 29/7/2022

—: न्यूशंस नोटिस :-

प्रति

श्री. श्री. साईखेडा
साईखेडा

विषय:- आपके मकान का गन्दा निस्तारी/मल जल तालाब में प्रवाहित किये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत आपको पूर्व में सूचित किया गया था कि आप अपने घर का निस्तारी पानी सीधे तालाब में प्रवाहित न करें तत्संबंध में म.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निकाय के उपर शारित अधिसूचित किया गया अतः इसके तहत आप अर्थदण्ड राशि रु. 160000 रुपये एक लाख साठ हजार को PD एकाउंट नं 051/1121/2109 ADDITIONAL SECRETARY ENVIRONMENT DEPARTMENT विन्ध्योचल भवन भोपाल के खाते में जमा करें अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। सूचित हो-

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

पृ.कं. 762/न.प.साई/2022

साईखेडा दिनांक 29/7/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रशासक महोदय नगर परिषद साईखेडा की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

10

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर

(E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 107791-250320)

प.क.मांके 762/ न.प.साई / 2022

साईखेडा, दिनांक 29/7/2022

-:: न्यूशंस नोटिस ::-

प्रति

श्री. हलेश्वर
साईखेडा

विषय:- आपके मकान का गन्दा निस्तारी/मल जल तालाब में प्रवाहित किये जाने के संबंध में।

विषयांतर्गत आपको पूर्व में सूचित किया गया था कि आप अपने घर का निस्तारी पानी सीधे तालाब में प्रवाहित न करें तत्संबंध में म.प्र. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निकास के उपर शास्ति अधिरोपित किया गया अतः इसके तहत आप अर्थदण्ड राशि रु. 160000 रूपये एक लाख साठ हजार को PD एकाउंट नं 051/1121/2109 ADDITIONAL SECRETARY ENVIRONMENT DEPARTMENT विन्ध्योचल भवन भोपाल के खाते में जमा करें अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। सूचित हो-

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

पृ.कं. 762/ न.प.साई / 2022

साईखेडा दिनांक 29/7/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रशासक महोदय नगर परिषद साईखेडा की ओर सादर सूचनार्थ।

हलेश्वर

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर म.प्र.

(E-MAIL ADDRESS: CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)

क्रमांक / 894 / न.प.साई / 2022

साईखेडा, दिनांक 2/5/2022

न.पा.अधिनियम 1961 की धारा 187, 223 के अंतर्गत सूचना पत्र
बनाम

श्री संतोष अबधिमा.....

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रं. / 760 एवं 762 दिनांक 29/12/2022

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नरहरियानंद तालाब कि भूमि पर अतिक्रमण कर बगैर अनुमति भवन निर्माण किया जाकर नरहरियानंद तालाब में वर्षों से दूषित पानी डाले जाने से नरहरियानंद समिति द्वारा ए0जी0टी0 में प्रकरण दायर किया हैं। जिसके अनुसार आपके द्वारा किये गये अतिक्रमण हटाया जाना हैं तथा जो जुर्माने कि राशि आपके उपर अधिरोपित कि गई हैं का भुगतान किया जाना हैं।

अतः आप सूचना पत्र प्राप्त उपरांत अधिरोपित कि राशि 16,50,000/- रुपये शब्दों में एक लाख सत्तर हजार रुपये जमा करते हुए आपके द्वारा निर्मित किये गये भवन कि स्वामित्व अभिलेख तथा भवन निर्माण अनुज्ञा आदि अभिलेख सहित 3 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर अपने कथन देवे, विपरीत स्थिति में अथवा जबाब प्रस्तुत न करने की दशा में आपके विरुद्ध उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही कि जावेगी जिसका समस्त उत्तर दायित्व आपका होगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नेगर परिषद, साईखेडा
साईखेडा, दिनांक 2/5/2022

पृ0 क्रमांक / 894 / न.प.साई / 2022
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नेगर परिषद, साईखेडा

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

[Handwritten signature]

(12)

विषय:- नगर परिषद द्वारा प्राप्त पत्र क्रमांक 893 दिनांक 02/09/2022 के जवाब वावत्।
महोदय जी,

निवेदन है कि मुझे मकान अतिक्रमण एवं तालाब में दूषित पानी डालने हेतु नोटिस दिया गया है जिसके जवाब हेतु आपके समक्ष में प्रस्तुत ।

जिस जगह पर मेरा मकान बना हुआ है वह मेरे द्वारा खरीदा गया है जिसकी खरीदी लगभग 70 वर्ष पूर्व की गई है जिसमें कोई नया निर्माण नहीं किया गया मकान और तालाब के बीच दूरी लगभग 15 फीट से अधिक है कई सालों से मकान को गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है जिससे तालाब में गंदा पानी जाने का कोई प्रकरण ही नहीं बनता मेरे घर के पीछे से सीवरेज लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे की घर से निकलने वाले जल को सीवरेज लाईन से जोड़ दिया गया है जिससे कोई भी पानी तालाब में नहीं जाता। एवं मेरा निवास झिकोली रोड पर है। इससे पहले माननीय तहसीलदार महो० द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध मेने जवाब प्रस्तुत किया उसमें अपनी मकान की रजिस्ट्री संलग्न की श्रीमान जी का कहना था कि हमने अपने विवेक से पटवारी के माध्यम से नोटिस जारी करवाये क्योंकि हमें 01 दिवस में पूरी जानकारी मिलने का आदेश प्राप्त हुआ था अतः हमने अनुमानित स्तर पर लोगों को नोटिस जारी किये है।

अतः लगाया गया जुर्माना अनुचित है एवं हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया हमे इस जुर्माने के भार से मुक्त किया जावे।

धन्यवाद

संलग्न:- मकान की रजिस्ट्री

प्रार्थी

[Handwritten signature]
6.9.22

381
06/09/22



श्री

वैनामा तादादी २००००वीसहजार रुपया मावजा

स्टा० के अनुसार ७००
व्लाकसी इस्टा १०० रु०
ग्रामपन्चाह ए:

के रुपया वक्तरजिस्टरी के लेवेगे:

नाम खरीददार: श्री फूलचन्द वल्द लैमचन्द खेरा निवासी साइसेडा तहंगाडखारा

नाम वैचने वाला : १ चैतराम वल्द जुलकिशोर जात सोनी निवासी साइसेडा
 २ पूरन लाल आत्मज चैतराम सोनी तहंगाडखारा
 ३ कन्देदीलाल आत्मज चैतराम सोनी

तफसीलै शुदा जायेदाद : एक इकता मकान म्य सामानसरह जग्गा चौहदी के अन्दर का

वाके साइसेडा नं. व. ४३४ तहंगाडखारा का वैचा : जिसकेपूरव में तालासिरकारी पश्चिम में
 आमरास्ता उत्तर में मु० परपो साधा का मकान दक्षिण में बुलकी सगवैवा कन्हे अग्रवाल का मकान
 पूरव में पश्चिम तर्फ बुलकी वाईतरफ ५४ फुट ८ इन्च मु० परमोतरफ ५४ फुट उत्तर दक्षिण आम
 रास्ता तरफ ३५ फुट तालातरफ २१ फुट ३ इन्च मकान के सामने रास्तातरफ २ फुट छिपटी सिद्ध
 मकान के सामने दखान दो वाद में २ कोठा बीच में आंगन तालावतरफ दोकोठा : मजगगासहितवैच
 तथा के शुदा मकान के उत्तरतरफ मु० परमो वैवा कन्हेसाधके मकान के बीचमें बुलिया है जिसतरहस
 वैचने वाले उसमें निस्तार करते रहे है वह एक आपखरीददार का रहेगा इसी तरह दक्षिणतरफ बुलकीवा
 के तथा वै शुदा मकान के बीचमें बुलिया है एक उस पर भी जिसतरह हमवैचने वाले निस्तार करते रहे है व
 आम खरीददार का एक रहेगा: तथा वै शुदा मकान के पूरव पश्चिम उत्तरदक्षिण याने चारोतरफकी
 दिवात वै शुदा है : वैशुदा मकान के सामने छिपटीसिद्धी जो है २ फुट की वह भी वै शुदा है:

वैनामा सिख दिया वक्कर खरीददार के वैचने वालेने वावत ऐसी जो कि हमने अपना उपराप्त मकान ऊपर
 सिखे मावजा पाकर आज की तारीख से हमेशा के लिये वैचकर आपखरीददार का कब्जा दखल करा दिया सो

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर म.प्र.
 E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)
 कामका/१९३ /न.प.साई /2022 साईखेडा, दिनांक २/९/2022

न.प.अधिनियम 1961 की धारा 187, 223 के अंतर्गत सूचना पत्र
 बनाम

श्री पुरुकोटलम् अग्रवाल

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र कं./ 760/बं 762 दिनांक 29/07/2022

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नरहरियानंद तालाब कि भूमि पर अतिक्रमण कर बगैर अनुमति भवन निर्माण किया जाकर नरहरियानंद तालाब में वर्षों से दूषित पानी डाले जाने से नरहरियानंद समिति द्वारा ए0जी0टी0 में प्रकरण दायर किया हैं। जिसके अनुसार आपके द्वारा किये गये अतिक्रमण हटाया जाना हैं तथा जो जुर्माने कि राशि आपके उपर अधिरोपित कि गई हैं का भुगतान किया जाना हैं।

अतः आप सूचना पत्र प्राप्त उपरांत अधिरोपित कि राशि 1600000000 रूपये शब्दों में एक लाख साठ हजार रुपये जमा करते हुए आपके द्वारा निर्मित किये गये भवन कि स्वामित्व अभिलेख तथा भवन निर्माण अनुज्ञा आदि अभिलेख सहित 3 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर अपने कथन देवे, विपरीत स्थिति में अथवा जबाब प्रस्तुत न करने की दशा में आपके विरुद्ध उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही कि जावेगी जिसका समस्त उत्तर दायित्व आपका होगा।

पृ0 कमांक/१९५ /न.प.साई /2022
 प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाडरवारा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, साईखेडा
 साईखेडा, दिनांक २/९/2022

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद, साईखेडा

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद साईखेडा

16

विषय:- नगर परिषद द्वारा प्राप्त पत्र क्रमांक 893 दिनांक 02/09/2022 के जबाब दावत।
महोदय जी,

निवेदन है कि मुझे माकान अतिक्रमण एवं तालाब में दूषित पानी डालने हेतु नोटिस दिया गया है जिसके जबाब हेतु आपके समक्ष में प्रस्तुत ।


जिस जगह पर मेरा मकान बना हुआ है वह मेरा पैत्रिक मकान है जिसमें हम कई पीढीयों से निवासरत है मेरे घर के पीछे से सीवरेज लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे की घर से निकलने वाले जल को सीवरेज लाईन से जोड दिया गया है जिससे कोई भी पानी तालाब में नहीं जाता। इससे पहले माननीय तहसीलदार महो० द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध मेने जबाब प्रस्तुत किया उसमें अपने मकान का वैनामा (इकरारनामा), नजरी नक्शा एवं ग्राम पंचायत का एनओसी संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था जिससे मैंने प्रमाणित किया कि हमारा मकान किसी भी प्रकार के अतिक्रमण में नहीं है।


अतः लगाया गया जुर्माना अनुचित है एवं हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया हमे इस जुर्माने के भार से मुक्त किया जावे।

धन्यवाद

संलग्न:- मकान का वैनामा (इकरारनामा), नजरी नक्शा एवं ग्राम पंचायत का एनओसी


प्रार्थी





श्याठ रूपया

नेनामानवेखादिप्रा.गनेशरामजी.जीवनराफजी.पिसरा.नवकीराम.वी.चरमदस.
 नावाका.पद.मूलचंद.नवीका.हा.गनेशराम.अहवाम.वानिप्रा.पेसा.
 मालगुजारो.साकनान.साइरेनेडा.खाली.फो.मैती.भोजा.साइरेनेडा.
 के.वधूमो.प्रसाद.पद.पिहारो.लाल.शो.म.अग्रवाल.ने.वावा.
 मेस्तो.जोफे.हमने.अपना.ए.का.फेता.भकान.सनपरेला.म.प.सरहसा.मान.
 जगह.आडपेड.कु.लेखे.नमसा.ने.चौहदो.नीचे.दे.वाके.भोजा.
 साइरेनेडा.तहसोद.गाणरचारा.जिला.होरोग.वाद.हा.हपेश.शो.पुस्तान.
 पुस्तको.के.वा.रुपा.७००) अफन.नोसो.लिक्का.फवदार.मे.
 सो.मायजे.का.रुपा.इसतरह.पात्रा.डिगरी.नेमरी.३०२.सन१९३३
 खिदावत.जनाव.सन.जज.सा.९५.६२.जा.२.गाडर.नारा.तारसिन.डिगरी
 १२-१-१७.३४.ही.सो.इस.दान.पुक्ता.दावा.खिसल.म.प.स.को.
 नेमरी.व.ह.कर.सो.का.फे.ल.वा.हु.आ.रुपा.७००) जे.इ.न.नो.सो.
 रूपामे.सो.मु.ज.रा.प.पे.वो.भकान.प.ह.मे.शा.को.पुस्तान.पुस्त.
 को.फज्जा.करा.दि.प्रा.सो.करो.इ.अ.मे.ह.म.व.ह.मारे.चार.सान.
 किशो.तरह.फो.उ.ज.र.वा.दा.वा.करे.को.अ.ह.स.म.को.जो.वे.वा.
 नेना.भा.सु.दा.म.दान.हर.दि.सो.के.गारो.से.पा.क.सा.क.ह.ना.



इकरारनामा

इकरारनामा लिख दिया श्री हरीशंकर आ सखुलाल अग्रवाल पेशा व्यापार निवासी साईखेड़ा तहो गाडरवारा जिला - नरसिंहपुर वालो को ये तो मौजा साईखेड़ा तहो गाडरवारा के श्री सखुलाल आ० दुलीचन्द्र अग्रवाल पेशा खेती ने वाकत ऐसी जो कि हमने आपको अपनी समजिषा नीचे लिखे मकान अवल सम्पत्ती के बटवारे जो कि हरकिसम के चारो से साक पाक हे कही रहन या वक्कीस नही हे हमेशा को पुस्तान पुस्त को अपने बड़े पुत्र होने के नाते दिये हे । मकानो पर कब्जा आप हरीशंकर का बटवारे होने के बाद से हे, सो मकान आप खुद रखो या बेचो हमें उक्त मकानो से कोई वास्ता नही रहा । इकरारनामा लिखा सो सही वक्त पर काम आने । सही दिनांक १६/६/२२

मकान मौजा साईखेड़ा तहो गाडरवारा जिला - नरसिंहपुर में हे :-

मकान नं० 1/- ग्राम पंचायत साईखेड़ा के मेन रोड सिमेन्ट रोड से लगा पक्का दो मंजील अग्रजी खरैल जिसमें कपडा की दुकान हे । जिसके पूर्व में सिमेन्ट रोड पश्चिम में श्री चुन्नीलाल अग्रवाल की जगह हे; उत्तर में श्री नर्मदाप्रसाद अग्रवाल का मकान हे; मकान के दक्षिण में श्री चुन्नीलाल जी का मकान हे । मकान की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई :- 12 फुट हे पूर्वसे पश्चिम लम्बाई - 58 फुट हे बिजलीके मीटर का नम्बर - 15 हे ।

मकान नं० 2 /- ग्राम पंचायत साईखेड़ा के मेन रोड सिमेन्ट रोड स्थित पक्का मकान देसी खरैल का बिजली के मीटर नं० - 48 हे, मकान के उत्तर में श्री जगदिश प्रसाद अग्रवाल का मकान हे; दक्षिण में श्री जीवनलाल अग्रवाल का मकान हे; पूर्व में सार्वजनिक तालाब हे; पश्चिम में सिमेन्ट रोड हे उत्तर से दक्षिण चौड़ाई - 18 फुट पूर्व से पश्चिम लम्बाई - 66 फुट हे ।

मकान नं० 3:- यह मकान ग्राम पंचायत साईखेड़ा के की मेन रोड से लगी सिमेन्ट रोड हे से लगा हे दो मंजीला हे, सिमेन्ट से बना हे । मकान के उत्तर में श्री जीवनलाल जी अग्रवाल का मकान; दक्षिण में ग्राम पंचायत साईखेड़ा का रास्ता हे, पूर्व में सिमेन्ट रोड हे; पश्चिम में छोटेलाल अग्रवाल का मकान बिजली के मीटर का नं० 215 हे । उत्तर से दक्षिण चौड़ाई; 23 फुट 6 इंच पूर्व से पश्चिम लम्बाई 1 फुट 6 इंच हे ।

वाह:- श्री ठीकाना साईखेड़ा

वाह:- श्री पतलक अग्रवाल

श्री अग्रवाल साईखेड़ा
ता० १६/६/२२

20

श्याम गीमती जे-रुपका

११
पदाद्या

विपिनवाला - मुकुलाल काठ हिनका
कुवड विरसायकी लका

विपिनवाला - हरिचंका काठ मुकुलाल
कुवड (काठ सुपुन) (गणपत)

वासा - शंकराका

कुवड - दवाड काठ

कुवड काठ

16/6/85
16/6/85

मजरी नक्शा


(21)

मौजा - साईखेड़ा, व. नं. ४२४, प. ह. नं. ३२

तहसील - गाँडरवारा, जिला - नरसिंहपुर

आवाही खसरा नम्बर २३०, इका - २.२२८ हेक्टर में से -
१२५४ वर्गफुट, मफ - आवाही। हाल ही में तोड़े गये मकान

एवं १२५४ वर्गफुट भूमि ^(फर्जेदार) मालिक का नाम - पुरुषोत्तमदास आ. जीवण
लाल अग्रवाल सा. साईखेड़ा।



तालाब

नोट:- ६६x१९० = १२५४ वर्गफुट में पूर्व में बना मकान जो तोड़ा
दिया गया किचोके जीर्णोद्धार होगा था। उक्त मकान तालाब
खपरल लकड़ी का बना हुआ था निरीक्षण दि. २२.११.२००९ को
मकान में लगे प्रवेश द्वार के तीन दरवाजे लकड़ी के लगे हुए
पाये गये। उक्त मकान चार कमरों का मकान सामूहिक स्तर
वताये अनुसार वस्ती ७०-७५ वर्ष पुराना था। निरीक्षण
अवशेष मौके पर पाये गये।

प. ह. ३२
१९/११/२००९

कार्यालय ग्राम पंचायत, साई खेड़ा

विकास खंड - साई खेड़ा, तह. - गाडरवारा

जिला - नरसिंहपुर (म.प्र.)

(22)

क्रमांक.....

प्रमाणपत्र

दिनांक 21/9/20

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल /
श्रीभीमनाथ अग्रवाल का निजी मकान गम (खेड़ा) में
वर्ष 11 में मुख्य काम समाप्त कर दिया गया है
ले गया है जिसे पुनः निर्माण किया जा रहा है
इसलिए गम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है

चासी गभेरीलाकर
सरपंच
ग्राम पंचायत साई खेड़ा
जिला - नरसिंहपुर

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी
साईखेडा / देवरी / गाडरवारा-2 तहसील साईखेडा

प्र0कमांक / 163 / प्र0तह0 / 2022

साईखेडा दिनांक:-07 / 09 / 2022

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT)
 केन्द्रीय शाखा, भोपाल

विषय:-नरहरियानंद तालाब साईखेडा में अतिक्रमण प्रकरणों के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि, नरहरियानंद तालाब मौजा साईखेडा प0ह0नं0 09 रा0नि0मं0 साईखेडा स्थित भूमि ख0नं0 456, 457, 458/1 कुल रकवा 6.777 हे0 भूमि शासकीय तालाब मद में दर्ज हैं। जिसका सीमांकन विधिवत् सीमांकन दल गठित कर कराया गया। जिसमें 73 व्यक्तियों के द्वारा मकान एवं दुकान बनाकर अतिक्रमण पाया गया। 73 प्रकरण अतिक्रमण के न्यायालय में पंजीबद्ध किये गये थे। 73 प्रकरण में से 52 प्रकरणों में श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) गाडरवारा के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। 05 प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पुनः सुनवाई के आदेश पारित किये गये थे। तथा उक्त 73 प्रकरणों में से 25 प्रकरणों में माननीय कमिश्नर महोदय जबलपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई हैं जो विचाराधीन हैं। उक्त अपीलीय प्रकरणों की सूची आपकी ओर सादर संप्रेषित हैं।

संलग्न :- अपीलीय प्रकरणों
 की सूची

तहसीलदार
 साईखेडा / देवरी / गाडरवारा-2

अपीलीय प्रकरणों की सूची

24

क्र०	प्रकरण नंबर
1	661 / अपील / 2021-22
2	648 / अपील / 2021-22
3	663 / अपील / 2021-22
4	650 / अपील / 2021-22
5	655 / अपील / 2021-22
6	652 / अपील / 2021-22
7	662 / अपील / 2021-22
8	646 / अपील / 2021-22
9	651 / अपील / 2021-22
10	647 / अपील / 2021-22
11	667 / अपील / 2021-22
12	654 / अपील / 2021-22
13	660 / अपील / 2021-22
14	664 / अपील / 2021-22
15	653 / अपील / 2021-22
16	657 / अपील / 2021-22
17	659 / अपील / 2021-22
18	651 / अपील / 2021-22
19	666 / अपील / 2021-22
20	703 / अपील / 2021-22
21	835 / अपील / 2021-22
22	665 / अपील / 2021-22
23	668 / अपील / 2021-22
24	658 / अपील / 2021-22
25	656 / अपील / 2021-22

24

कार्यालय नगर परिषद साईखेडा जिला, नरसिंहपुर म.प्र. 25

(E-MAIL ADDRESS- CMOSAIKHEDA@MPURBAN.GOV.IN फोन 07791-250320)

कमांक/922/न.प.साई/2022

साईखेडा, दिनांक 07/09/2022

प्रति,

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT)
केन्द्रीय शाखा, भोपाल

विषय:-

आपके आदेश के पालन में की गयी एवं की जा रही कार्यवाही का विवरण।

संदर्भ:-

1. ओरिजिनल एप्लीकेशन कमांक 23/2021 (CZ) के आपके द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2021।
2. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कमांक 02/2022 (CZ) के तहत कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर को जारी आपका पत्र कमांक D.No./NGT/2022/38 भोपाल दिनांक 16.03.2022।
3. अपर कलेक्टर महोदय का पत्र कमांक 3395/सिविल सूट/2022 नरसिंहपुर दिनांक 11.04.2022।
- 4- MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD No. 1670/MSW/HOPCB/2022 Bhopal Date: 13/05/2022।
5. एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कमांक 13/2022 (CZ) ओरिजिनल एप्लीकेशन नं. 23/2021 सुनवाई दिनांक 13.07.2022।

—0—

महानुभाव,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन हैं कि संदर्भित आदेश कमांक 1 के पालन हेतु संस्थित आवेदन संदर्भित कमांक 2 के अनुसार दिए गये निर्देशों के पालन हेतु कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर द्वारा जारी पत्र संदर्भित कमांक 3, 4, 5 के परिपालन में नगर परिषद साईखेडा द्वारा नरहरियानंद तालाब के संरक्षणार्थ अब तक की गयी एवं की जा रही कार्यवाहियों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. स्वामी नरहरियानंद तालाब, ग्राम साईखेडा, राजस्व निरीक्षक मंडल साईखेडा तहसील साईखेडा जिला नरसिंहपुर स्थित तालाब मद की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 456, 457, 458/1 रकवा 6.770 हे० में स्थित हैं।
2. आपके द्वारा दिए गये आदेश/निर्देश के परिशिष्ट A-1की कंडिका (1) के परिपालन में निकाय द्वारा 2-6 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कियान्वयन इकाई मध्य प्रदेश शहरी विकास निगम मर्यादित (MPUDCL) के माध्यम से कराया जा रहा है, जो लगभग 80 प्रतिशत तक पूरा हो गया है, जिसे यथाशीघ्र पूर्ण होने की संभावनाये कियान्वयन इकाई के द्वारा व्यक्त की गयी है। साथ ही सीवेज लाईन बिछाने का कार्य भी 92 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया है।
3. प्रोजेक्ट कियान्वयन इकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा वर्षा ऋतु उपरांत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किये जाने के संभावना व्यक्त कि गयी है, जिसके

पूरा होते ही दूषित जल का समुचित प्रबंधन किया जा सकेगा। नगर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण किया जाकर ठोस अपशिष्ट का यथोचित प्रबंधन किया जाता है, उक्त ठोस अपशिष्ट तालाब में डाले जाने पर अर्थ दंडात्मक कार्यवाही की सूचना नगरवासियों में समय समय पर प्रचारित/प्रसारित की जा रही है।

26

4. तालाब भूमि पर अतिक्रमण कर कुल 73 भवन बने हुए हैं, जिन्हे नगर परिषद के द्वारा पर्यावर्णीय क्षतिपूर्ति एवं भू-स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने के संबंध में नोटिस जारी किये गये हैं जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रचलन में हैं। नोटिस जारी किये जाने के बाद से कुल 32 भवन धारको के द्वारा अपना निस्तारी पानी तालाब में जाने से रोक कर अन्यत्र निकासी की जा रही है, शेष भवनों का पानी तालाब में न जावे इस हेतु इनका निस्तारी पानी सीवरज पाईप लाईन से जोडा गया है, जिसका बहाव तालाब से अन्यत्र है। उक्त तालाब में मिलने वाले स्थानीय दो नाली जिनसे वर्षा काल में तालाब का कैचमेंट वाटर (स्ट्राम वाटर) प्रभावित हो रहा था उसका बहाव भी तालाब की ओर से परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे उनका पानी तालाब में नहीं जा रहा है।
5. तालाब भूमि अतिक्रमण कर बने 73 भवनों पर नायब तहसीलदार के द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत विधिवत कार्यवाही संस्थित की गयी थी, जिसके पूर्ण होने पर कतिपय लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में बाद दायर किया था, जिसका प्रकरण क्रमांक MISC पिटीशन क्रमांक 781/2022 हैं जिसमें पारित आदेश दिनांक 04.03.2022 में तहसीलदार साईंखेडा को निर्देशित किया गया है कि पिटीशनर को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदाय किया जाकर निराकरण करें। जिसके परिपालन में राजस्व विभाग साईंखेडा के द्वारा विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कार्यवाही का निराकरण करने का आदेश जारी करना उचित होगा।

आपके द्वारा दिए गये निर्देशों के पालन में अब तक की गयी कार्यवाही एवं की जाने वाली कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्टों सहित सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया अभिस्वीकृति प्रदान किये जाने का कष्ट करें।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद साईंखेडा